भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *246

उत्तर देने की तारीख : 21 मार्च, 2022

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास

***246. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :**
श्री भोला सिंह :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता से संबंधित योजना का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिमालय क्षेत्र के राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(घ) उक्त अवधि के दौरान हिमालय क्षेत्र के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बनाए गए नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

(जी. किशन रेड्डी)

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास के संबंध में दिनांक 21 मार्च, 2022 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *246 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हां। संस्कृति मंत्रालय शोध, प्रलेखन, प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैले हुए हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य से 'हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक वित्तीय अनुदान स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत पर अध्ययन एवं शोध, प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला एवं शिल्पों का परिरक्षण, संगीत एवं नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यकलापों/कार्यक्रमों का प्रलेखन और कला एवं संस्कृति के दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों तथा पारंपरिक एवं लोक कला में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की मात्रा 10.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस स्कीम से संबंधित विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को यह शक्ति प्राप्त है कि ये अधिकतम सीमा से अधिक राशि जो 30.00 लाख रुपये से अधिक न हो, की अनुशंसा इस स्कीम से कर सकती है। इस स्कीम का संपूर्ण विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ग) : हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान हिमालयी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2018-19	130
2019-20	131
2020-21	156

(घ) और (ड.) : हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित वित्तीय अनुदान स्कीम है जो विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए है। उक्त स्कीम केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है और निधियां सीधे ही राज्य सरकारों को जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	**राज्य**	**वर्ष-वार जारी निधि (लाख रुपये में)**			
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (14.3.2022 तक)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	69,00,000/-	63,12,000/-	98,25,000/-	1,03,50,000/-
2.	सिक्किम	7,50,000/-	--	26,50,000/-	16,50,000/-
3.	हिमाचल प्रदेश	46,58,500/-	55,67,000/-	69,00,000/-	90,25,000/-
4.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	31,24,875/-	25,71,312/-	21,50,000/-	73,25,000/-
5.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	7,00,000/-	12,00,000/-	24,50,000/-	18,00,000/-
6.	उत्तराखंड	77,25,000/-	73,45,000/-	96,25,000/-	1,71,97,640/-
	कुल	**2,38,58,375/-**	**2,29,95,312/-**	**3,36,00,000/-**	**4,73,47,640/-**

अनुलग्नक

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास के संबंध में दिनांक 21 मार्च, 2022 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 246* के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

1. उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि माध्यमों से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फेले हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, सुरक्षा व परिरक्षित करना है।

2. अनुदान का मानदंड :

i स्वैच्छिक संस्थान का पंजीकरण, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास के रूप में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत होना चाहिए और वह विगत तीन वर्षों से कार्यरत हो।

ii कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवेदन हेतु पात्र हैं।

iii संस्थान के पास अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेने और उसको आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके पास अनुदान के लिए अपेक्षित स्कीम को लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन और कार्मिक भी होने चाहिए।

iv कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम की विवरणी या अनुसंधान पाठयक्रम में, हिमालय की कला और संस्कृति के परिरक्षण से संबद्ध अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को प्रारंभ करना चाहिए, यदि इन्हें पहले शामिल नहीं किया गया हो।

v आवेदन करने वाले कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।

vi अनुदान, तदर्थ और अनावर्ती प्रकृति का होगा।

vii इस स्कीम से अनुदान केवल उन संस्थानों को दिए जाएंगे जो किसी अन्य स्रोत से, ऐसे ही उद्देश्य के लिए अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

viii ऐसे संस्थानों को वरीयता दी जाएगी जो अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने हिस्से की धन राशि जुटाने में समर्थ हैं।

3. सहायता का उद्देश्य और मात्रा : वित्तीय सहायता, अधोलिखित किसी भी मद के लिए, किसी एकल संस्थान को अधिकतम, 10.00 लाख रुपये तक दी जाती है :

क्र.सं.	**मद**	**प्रतिवर्ष अधिकतम राशि**
i.	सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन और अनुसंधान	10.00 लाख रू.
ii.	प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला और शिल्प का अनुरक्षण और सांस्कृतिक कार्यकलापों/कार्यक्रमों जैसे संगीत नृत्य आदि का प्रलेखन।	10.00 लाख रू.
iii.	कला और संस्कृति का श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रमों के माध्यमों से प्रसार करना।	10.00 लाख रू.
iv.	पारम्परिक और लोक कलाओं में प्रशिक्षण	10.00 लाख रू.

3.1 किसी संस्थान के लिए अधिकतम अनुमेय अनुदान राशि, किसी मद पर अधिकतम निर्धारित सीमा के अधीन व्यय किए जाने वाली राशि की 75 ⁒प्रतिशत होगी। शेष 25 प्रतिशत ⁒ या उससे अधिक व्यय, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वहन करेगा। ऐसा न होने पर अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, अपने संसाधनों से धन जुटाएगा। तथापि, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामलों में निधि का बंटवारा भारत सरकार और उस संस्थान के मध्य क्रमश: 90:10 के अनुपात में किया जाएगा।

4. आवदेन की प्रक्रिया :

4.1 संस्थान/व्यक्ति, अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन, अधोलिखित दस्तावेजों/ सूचना सहित संस्कृति मंत्रालय में प्रस्तुत करने के पूर्व, उस संस्थान की पात्रता के आकलन के लिए संबद्ध राज्य सरकार के माध्यम से भेजेगा, जहां पर परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसे संस्थान जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में स्थित हैं, केवल उस जिले के कलेक्टर/उपायुक्त की सिफारिश से, उन्हें अपने आवेदन

सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है। कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे।

क्र.सं.	**दस्तावेज/सूचना**
i.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैध प्रतिलिपि, जिसमें स्पष्ट रूप से पंजीकरण की वैधता दर्शित हो। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की जाए।
ii.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि।
iii.	पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां।
iv.	पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, जिनमें उपलब्धि से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित हों।
v.	प्रारंभ की जाने वाली परियोजना के कार्यकलापों का क्रमिक विवरण जिसमें लागत अनुमानों का ब्यौरा, सरकार से निधि प्राप्त करने की आवश्यकता, निधियन के अन्य स्रोत, परियोजना की पूर्णता विषयक सारणी आदि शामिल हों।
vi.	अनुसंधान से संबंधित कार्मिकों के मामले में संक्षिप्त विवरण।

4.2 संस्तुति : राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/उपायुक्त/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रस्ताव की संस्तुति के समय :

i. संस्थान की पंजीकरण स्थिति की जांच करेगा।

ii. यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठन ऐसी परियोजना का दायित्व लेने में समर्थ हैं।

iii. यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना/चलाई जाने वाली परियोजना का प्रस्तावित शीर्ष/क्षेत्र पहले कभी शुरू नहीं की गई है और यह नई परियोजना है।

iv. कार्यकलाप/ कार्यकलापों और उससे संबद्ध राशि की संस्तुति करेगा।

5. अनुदान जारी होने की शर्तें और तरीका :

क. यह अनुदान आवेदनों के मूल्यांकन और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की अनुशंसा तथा तत्पश्चात संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों के प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय सहमति के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

ख. अनुदान की राशि दो समान किस्तों में अदा की जाएगी, सामान्य रूप से, पहली किस्त-परियोजना के अनुमोदन के साथ ही जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त, परियोजना के पूर्ण होने और विधिवत संपरीक्षित लेखा का विवरण, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुदान की समस्त राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता/संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अंशदान का सदुपयोग कर लिया गया है सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी। अनुदान की शेष राशि जारी करने का निर्णय, परियोजना के लिए अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

ग. इस स्कीम के तहत जो संगठन आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

घ. परियोजना के लेखों का रख-रखाव उचित रूप से और पृथक रूप से किया जाएगा और भारत सरकार को, जब कभी आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जायेंगे और इसकी जांच केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या राज्य सरकार या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेक के अधीन होगी।

ड. अनुदान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित का रख-रखाव करेगा :-

i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के सहायक खाते।
ii. सजिल्द हाथ से लिखी कैश बुक रजिस्टर जिनमें मशीन से संख्याकंन किया गया हो।
iii. सरकार और अन्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायता अनुदान रजिस्टर।
iv. सिविल कार्य का निर्माण आदि जैसे प्रत्येक मद के व्यय के लिए अलग-अलग लेखा बही।

च. संगठन केन्द्र सरकार के अनुदान से पूर्णत: और आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा और जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है, के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इन्हें भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा अथवा उन पर ऋण नहीं लेगा और न ही उपयोग करेगा।

छ. यदि किसी समय, भारत सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि स्वीकृत राशि का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पूर्व अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

ज. संस्थान को अनुमोदित परियोजना की कार्य प्रणाली में तर्कसंगत मितव्ययिता का अनुसरण करना चाहिए।

झ. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान, संस्कृति मंत्रालय को, परियोजना की एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तविक उपलब्धियों और प्रस्तावित प्रत्येक मद पर व्यय, दोनों के विवरणों को, अलग से दिखाया गया हो।

ञ. अनुदान प्राप्तकर्ता, विधिवत रूप से जिल्दसाजी युक्त परियोजना रिपोर्ट/श्रव्य-दृश्य सीडी/फोटोग्राफ सहित, तीन प्रतियां संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा और एक प्रति, उस राज्य को भेजेगा, जहां पर परियोजना को प्रारंभ किया गया है।

ट. उन संस्थानों जिनके विरुद्ध पूर्व अनुदान/उपयोग प्रमाण-पत्र विलंबित है, के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. भुगतान का तरीका :

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अन्तरणों के माध्यम से किए जाएंगे।

7. स्कीम का परिणाम :

अंतिम किस्त के लिए अनुरोध करते समय तीन प्रतियों में, विधिवत जिल्दसाजी की गई, शुरू किए गए कार्यकलाप के संबंध में कार्य निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश, लाभार्थियों की संख्या, परियोजना का स्थान आदि अधोलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिए :

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

कार्य निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट

परियोजना का शीर्षक :----------

i.	संगठन का नाम, पता, दूरभाष/फैक्स	
ii.	संस्वीकृति सं. और तारीख	
iii.	संपूर्ण संस्वीकृत अनुदान/किया गया संपूर्ण व्यय	
iv.	परियोजना का स्थान	

v.	लाभार्थियों की संख्या	
vi.	कार्य निष्पादन-सह-उपलब्धि	
vii.	यह किस प्रकार से, हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण करने में सहायक होगा।	

8. अपूर्ण आवेदन :

ऐसे आवेदन जो उचित रूप में नहीं भरे गए हैं और जिनके साथ में आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाए गए है तथा वे आवेदन जो निर्धारित प्राधिकारी की संस्तुति के बिना ही प्राप्त होंगे, उन पर विचार नहीं होगा और वे तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे।

9. विशेष प्रावधान :

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने किसी चुनिंदा एजेंसियों के जरिए या सीधे ही इस विषय पर कोई भी परियोजना आरंभ कर सकता है और अधिकतम सीमा से अधिक परियोजना हेतु वित्तपोषण कर सकता है परन्तु सचिव (संस्कृति) के अनुमोदन और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय की सहमति से यह स्कीम हेतु विहित 30.00 लाख रु. से अधिक नहीं होगी। जहां कहीं भी संस्कृति मंत्रालय अपने चुनिंदा किसी संगठन को कोई विशेष परियोजना सौंपने का निर्णय लेता है, तो वहां संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी। स्कीम की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को राज्य सरकार /स्थानीय प्रशासन की सिफारिशों या सिफारिश के बिना प्राप्त किसी प्रस्ताव की संस्तुति करने या रद्द करने तथा इस स्कीम की यथोपरि अधिकतम सीमा से अधिक राशि की संस्तुति प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त है।

10. निरीक्षण और निगरानी

कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में प्रति वर्ष मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार, जिला कलेक्टर/उपायुक्त भी निगरानी करेंगे।

11. अनुदान के दुरूपयोग के मामलों में आर्थिक शास्तियां :

संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्य अनुदान के दुरुपयोग के मामले में वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। संगठन को निधि के दुरूपयोग, फर्जी पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। सरकारी अनुदान की सहायता से सृजित सभी अचल परिसम्पत्तियां संस्कृति मंत्रालय द्वारा विहित स्थानीय प्रशासन द्वारा हाथ में ले ली जाएंगी।